प्रेस नोट दिनांक-09.02.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर द्वारा आम जनता में भय एवं आतंक व्याप्त कर गुण्डागर्दी करने वाले अभियुक्त (1) राजनारायण पुत्र मोतीलाल निवासी डाडी चमरौड़ी (2) अंकित चिकवा उर्फ अंकित गुर्जर पुत्र अशोक उर्फ गुड्डू निवासी आर्यनगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरूद्ध 03 यू0पी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री गुलाब त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी दिनेश कुमार द्वारा चिन्हित मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायाधीश अपर सत्र न्यायालय तृतीय चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 385/16 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त (1) चुल्ला (2) बउरा उर्फ द्वारिका निषाद (3) विफई पुत्रगण केशरी निषाद (4) फूलचन्द्र पुत्र होरिल निषाद (5) भगौती उर्फ व्यापारी चमार पुत्र बचनू निवासीगण कनभय मजरा परदवां थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी आनन्द कुमार द्वारा चिन्हित मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश(रेप एण्ड पॉक्सो एक्ट) चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 853/17 धारा 363/366/376 भादवि0 व 06 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त अमित रलिहा पुत्र रामबहोरी रलिहा निवासी शिवहारी मजरा लमहेटा थाना बदौसा जनपद बांदा को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक-26.09.2017 को वादिया निवासी चकभटोर चौकी भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली में सूचना दी गयी कि उसकी बहन का लड़का अमित रलिहा उसकी नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया एवं लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गया। सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 853/17 धारा 363/366/376 भादवि0 व 06 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।

(4). चौरी चौरा जनक्रान्ति शताब्दी महोत्सव के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनाँक-08.02.2021 को श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नगर/लाइन्स की अध्यक्षता में श्री सुमरे सिंह प्रतिसार निरीक्षक की उपस्थिति में पुलिस लाइन गेट न्यायी माता मंदिर में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गयी एवं उनकी याद में बैण्ड धुन के साथ राष्ट्रगान एवं देशभक्ति गीत गायन किया गया।

(5). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 09.02.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा हनुमान मंदिर व कस्बा राजापुर, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा बालिका इण्टर कॉलेज, पुरूषोत्तम इण्टर कॉलेज मऊ में, कस्बा मऊ में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी में बिसंडा तिराहा, नादी चौराहा, बैंको, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुंगी, भैरोपागा, पुरानी कोतवाली चौराहा, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा जीआईसी बरगढ़ में, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा श्री दादू भाई इंटर कॉलेज में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।